।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 1187 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 01/10/ 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, चमोली।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत लंगासू–निवाड़ी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/19786/2016)

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 718/FP/UK/Road/19786/2016 दिनांक 12.09.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/76/ 2017/एफ0सी0/1164, दिनांक 06.09.2018 से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि का डिमाण्ड मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1. शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.180 है0 ग्राम उमराकोट तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 17,22,150.00(रू0 सत्रह लाख बाईस हजार एक सौ पचास) मात्र जमा की जानी है एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल है0 में	धनराशि	देय कुल धनराशि
1	2	3	4
उमराकोट तल्ला सिविल सोयम भूमि	6.180	2,78,665.00	17,22,150.00

2. शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 20,30,130.00(रू बीस लाख तीस हजार एक सौ तीस) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.3 (Open forest)	6,57,000.00	3.09	20,30,130.00

3. शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो संड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit the recommendation of DFO before allowing tree felling/commencement of work as per guideline.

अतः उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के उपरान्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के ForestClearance.inc.in पर online अपने User account में जाकर Stage II Clearance में पहले mutation की detial (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या online एवं ऑफलाईन (चार हार्ड प्रतियों में) इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। तत्पश्चात् विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर